(182)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 540–तीन/2008 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 2–5–08 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 434/1990–91 अपील

1– शिवशॅकर 2– शिवाकान्त 3– रमाकान्त पुत्रगण
छेदीलाल मिश्रा निवासी ग्राम अमाव तहसील त्यौंथर जिला रीवा ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– कृष्णचंद्र पुत्र हरगोविन्द प्रसाद ग्राम कोड़ी
तहसील मेजा जिला इलहावाद उत्तरप्रदेश
2– कामताप्रसाद 3– देवीप्रसाद पुत्रगण महेशप्रसाद
ग्राम अमाव तहसील त्यौंथर जिला रीवा
4– श्रीमती रत्ती पुत्री हरगोविन्द पत्नि योगनारायण तिवारी
ग्राम चांदपुर तहजसील त्यौंथर जिला रीवा
5– सूर्यकान्त 6– दिवाकर प्रसाद 7– प्रभाकर 8–प्रभाकर
पुत्रगण राजकिशोर ग्राम दूढी तहसील व जिला इलाहावाद
9– श्रीमती अशोकवती पुत्री छेदीलाल पत्नि इन्दलप्रसाद
ग्राम सुहागी तहसील त्यौंथर जिला रीवा
10–श्रीमती रामवती पुत्री छेदीलाल पत्नि लक्ष्मीकान्त
ग्राम राजापुर तहसील त्यौंथर जिला रीवा
11– श्रीमती कल्पना पुत्री छेदीलाल पत्नि दीनानाथ
ग्राम डोडिया तहसील त्यौंथर जिला रीवा --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आई.पी.द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 17 – 8–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 434/90–91 अपील में पारित आदेश दिनांक 2–5–08 के विरूद्ध म.प्र. भू

संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम अमांव की भूमि नंबर 119 रकबा 0.37 ए. के 1/2 हिस्सा यानी 116 डि. का पटटेदार कृष्णचंद्र वगैरह थे। कामताप्रसाद एंव बेनीप्रसाद तथा छेदीलाल ने जरिये कच्ची टीप 90 रू. में भूमि क्रय कर नामान्तरण चाहा , जिस पर नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 54 अ 6/78-79 पंजीबद्व किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 28-9-85 पारित किया तथा छेदीलाल के हित में साढ़े डि. का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व कामताप्रसाद एंव देवीप्रसाद ने अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने प्रकरण कमांक 15 अ-6/85-86 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-5-91 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 434/90-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-5-08 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों को सुनकर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया । अपर आयुक्त रीवा संभाग के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण को बार-बार सूचना भेजने के वाद अनुपस्थित रहे । सम्यक सूचना के अभाव में पॅजीकृत डाक से भी सूचना पत्र भेजे गये किन्तु वह अनुपस्थित है जिसके कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि विचारण न्यायालय में मामला कामताप्रसाद एंव बेनीप्रसाद तथा छेदीलाल के जरिये कच्ची विक्रय टीप 90 रू. के माध्यम से भूमि क्रय करने पर नामान्तरण चाहे जाने से प्रारंभ हुआ है जिसमें नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 28-9-85 से केवल छेदीलाल के हित में नामांत्रण

स्वीकार कियागया है एंव कामताप्रसाद तथा बेनीप्रसाद के नामांत्रण को छोड़ दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने आदेश दिनांक 3-5-91 में इस प्रकार अंकित किया है :-

'' प्रथम विक्रय टीप के समर्थन में लेखक के बयान अपीलार्थी द्वारा नहीं कराया गया तथा द्वित्तीय विक्रय टीप के लेखक केशवप्रसाद ने बयान में कहा है कि विक्रय धन का लेन देन के विषय में नहीं जानता, जबकि विक्रय टीप में लिखा है कि विक्रय धन इसी वक्त मिल चुका है अब कुछ वाकी नहीं है तथा इसी प्रकार अपीलार्थी क-1 से इसी भूमि के बीच में विवाद की बात बताई है इस प्रकार एक ही आराजी को दो वार विक्रय कराना व बयानों में विरोधाभर उत्पन्न करना विक्रय टीप को सही होने में संदेह है और सही प्रमाणित नहीं है। ''

जव अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उक्तानुसार स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि विक्रय पत्र संदेहास्पद है ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर नायव तहसीलदार द्वारा प्रकरण कम्रांक 54 अ 6/78-79 में पारित आदेश दिनांक 28-9-85 से एक पक्षकार का नामान्तरण कर देना एंव दूसरे पक्षकार के नामान्तरण पर विचार न करने वावत् पारित आदेश संदेहास्पद है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने स्थिर रखने में भूल की है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 434/90-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-5-08 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त कर उभय पक्षों की सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रृटि नहीं की है क्योंकि अपर आयुक्त के आदेश से पुर्नसुनवाई के दौरान उभय पक्ष को अपना अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 434/90-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-5-08 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर